हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

67वीं बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 07/03/2019

(परिचालन के माध्यम से)

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की 67वी बोर्ड बैठक
(परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

पत्रावली संख्या– एच0आर0डी0ए0/आर0/0446/2018–19 (ऋषिकेश)

मद संख्या 67(क)–(01)

विषयः– नगर निगम ऋषिकेश के अन्तर्गत सम्पत्ति संख्या खसरा नं0 267मि0, 209मि0, 271 मि0, कुल क्षेत्रफल 11291.283 वर्ग मी0 को वर्तमान भूउपयोग बस अड्डा के जोनिंग रेगूलेशन में उल्लिखित भू उपयोग के अन्तर्गत सामान्य आवास एंव व्यापारिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

ऋषिकेश स्थित सम्पत्ति संख्या 83 खसरा नं0 267मि0, 209मि0, 271 मि0, कुल क्षेत्रफल 11291.283 वर्ग मी0 पर आवेदन श्री अशोक प्रपन्न शर्मा द्वारा समूह आवास एंव व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण हेतु मानचित्र संख्या एच0आर0डी0ए0/आर0/0446/ 2018–19 प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत मानचित्र स्थल ऋषिकेश महायोजना 2011 में बस अड्डा होने के कारण निरस्त किया जा चुका है। आवदेक द्वारा प्रर्थना पत्र दिनांक 04.02.2019 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल उ0प्र0 राजकीय परिवहन निगम को टीनशेड डालकर बस अड्डा संचालन हेतु दिया गया था। किन्तु निगम द्वारा प्रश्नगत स्थल पर स्थाई रूप से अनाधिकृत निर्माण किये जाने के कारण मा0 न्यायालय में वाद संख्या 203/1980 योजित किया गया। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार करते हुए निर्णय आवेदक के पक्ष में दिया गया। तदोपरान्त परिवहन निगम द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील संख्या 481/2007 योजित की गयी। जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 14.07.2010 में पारित करते हुए प्रश्नगत स्थल को खाली कर 01 वर्ष में कब्जा देने के निर्देश दिये गये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे परिवहन निगम द्वारा स्थल पर निर्मित अस्थाई/स्थाई बस अडडे के निर्माण को ध्वस्त करते हुए भूमि का कब्जा आवेदक श्री अशोक प्रपन्न शर्मा को प्राप्त कराया गया। तदोपरान्त उक्त मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र संख्या 1885/V–2/90(आ0)/2018 दिनांक 26 दिसम्बर 2018 के माध्यम से भी आख्या चाही गयी है।

अवगत कराना है कि ऋषिकेश महायोजना 2011 की जोनिंग रेगूलेशन के अनुसार स्वीकार भूउपयोग मे आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्माण (समूह आवास एंव व्यवसायिक) की स्वीकृति अनुमन्य नहीं है। किन्तु विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों मे अनुमोदित भू उपयोग सामान्य आवासीय भवन, कार्यालय, फुटकर व व्यापारिक भवन निर्माण की अनुमन्यता के दृष्टिगत सामान्य आवास एंव व्यापारिक भवन निर्माण की स्वीकृति भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार विचारार्थ।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

पत्रावली संख्या– म0यो0/भवन उपविधि/67/2018–19

मद संख्या 67(क)–(02)

विषयः– शासनादेश संख्या 39/V–2–2019–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी 2019 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में निहित मानकों के संशोधनों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 39/V–2–2019–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी 2019 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 888/V–2013–55(आ0)/2006

-टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में यथा संशोधन करते हुए प्रख्यापित की गयी थी। उक्त भवन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को समय-समय पर यथा संशोधन भी किया गया है।

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों यथा भवन हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता, भूखण्डो का न्यूनतम क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि कम होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मानकों को यथावश्यक कम करते हुए आवासीय, चिकित्सीय, पर्यटन, व्यवसायिक आदि गतिविधियों का विस्तार किये जाने हेतु भवन उपविधि के मानकों को संलग्न परिशिष्ट-1 एंव तालिका-01, 02, 03 के अनुसार संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की स्वीकृति महामहीम श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की गयी।

उपरोक्त भवन उपविधि के संशोधनों के अतिरिक्त शेष अन्य प्राविधान संख्या 888/V-2013-55(आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 एंव तद्विषयक संशोधित शासनादेशों के प्राविधन यथावत लागू रहेगें। शासन द्वारा उक्त संशोधित प्राविधानों को सम्बन्धित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकृत कराते हुए लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या 39/V-2-2019-55(आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी 2019 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में निहित मानकों के संशोधनों को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

वरिष्ठ नगर एंव ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

अध्यक्ष
न0पा0प0 शिवालिक नगर
हरिद्वार

अध्यक्ष
न0पा0प0 मुनिकीरेती
टिहरी

नगर आयुक्त
नगर निगम
ऋषिकेश

नगर आयुक्त
नगर निगम
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

प्रमुख सचिव
वित्त

प्रमुख सचिव
सिंचाई

प्रमुख सचिव
आवास

प्रमुख सचिव
तीर्थाटन/पर्यटन

प्रमुख सचिव
पेयजल

Approved as proposed

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की 67 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

पत्रावली संख्या-नो0हरि0 /28/2001-02

विषयः– हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा एवं उसके परिसर के उत्तर दिशा में स्थित सिंचाई विभाग के 2700.00 वर्गमी0 भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा एवं उसके परिसर के क्षेत्रफल सहित 119000.00 वर्ग फुट का भू–उपयोग मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2018 के अनुपालन में प्राधिकरण बोर्ड बैठक संख्या 64 बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 में लिऐ गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–705 /वी–2 /26(आ0)18 /2018 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से व्यवसायिक किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। अत क्षेत्रफल के 119000.00 वर्ग फुट के अन्तर्गत ही 38मी0 X 78मी0 (2964 वर्गमी0) क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 100 कमरों का प्रस्तावित र्प्यटन आवास गृह का निर्माण प्रस्तावित था।

कतिपय कारणों यथा कुम्भ मेला हेतु सडक पर अतिरिक्त दबाव, प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह स्थल के उपर हाई टेन्शन लाईन, सीवर लाईन तथा गंगा से निकट होने के कारण उक्त स्थल पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु उपर्युक्त नहीं पाया गया। मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार मुख्य सचित उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा दिनांक 10.02.2019 में पुनः मा0मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड तथा मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति मे हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार पूर्व में अनुमोदित स्थल के स्थान पर अलकनंदा परिसर के उत्तर में गंगा कैनाल के समानान्तर स्थित भूमि जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, पर प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 843 दिनांक 14 जून 2018 के अनुसार मा0 मंत्री परिषद, उत्तर पदेश द्वारा भी उक्त भूमि का हस्तान्तरण पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को किया जा चुका है। इस प्रकार पूर्व निर्मित होटल अलकनंदा सहित प्रस्तावित पर्यटन आवास गृह निर्माण हेतु भू–उपयोग परिवर्तित की गयी कुल 119000.00 वर्ग फुट भूमि में से पूर्व प्रस्तावित स्थल सिंचाई विभाग के लिए छोडते हुए वर्तमान प्रस्तावित स्थल (अलकनंदा होटल के उत्तर दिशा में गंगा कैनाल के साथ–साथ) संलग्न साईट प्लान के अनुसार 2700 वर्ग मी0 भूमि को 119000.00 वर्गफुट के अन्तर्गत ही रखते हुए हरिद्वार महायोजना 2025 में अंकित भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने तथा इस स्थल पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का पर्यटक आवास गृह निर्मित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बार्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।

उपाध्यक्ष 6/3/19
हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

वरिष्ठ नगर एंव ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

अध्यक्ष
न0पा0प0 शिवालिक नगर
हरिद्वार

अध्यक्ष
न0पा0प0 मुनिकीरेती
टिहरी

नगर आयुक्त
नगर निगम
ऋषिकेश

नगर आयुक्त
नगर निगम
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

प्रमुख सचिव
वित्त

प्रमुख सचिव
सिंचाई

प्रमुख सचिव
आवास

प्रमुख सचिव
तीर्थाटन/पर्यटन

प्रमुख सचिव
पेयजल

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

दिनांकः 07/03/2019

संख्या : 2674/प्रशा0–2(क)–22/79/2018–19

विषय : हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019 में हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा के उत्तर दिशा में गंगा कैनाल के साथ–साथ स्थित सिंचाई विभाग की 2700.00 वर्ग मी0 भूमि का भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से व्यवसासिक भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार बैठक का कार्यवृत्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अलोक कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

(अलोक कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
11. अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।
12. अध्यक्ष, नगर पंचायत, रानीपुर हरिद्वार।

संख्या :2684/प्रशा0–2(क)–22/79/2018–19 दिनांक: 08/03/2019

विषय : हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (परिचालन विधि से सम्पन्न) 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि से) दिनांक 07.03.2019 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ह०/-
(कृष्ण कुमार मिश्र)
सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

ह०/-
(कृष्ण कुमार मिश्र)
सचिव

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 2700/प्रशा०–2(क)–22/79/2018–19 दिनांक:– 08/03/2019

1– संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश–रुडकी–लक्सर
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह०रू०वि०प्रा०, हरिद्वार।
3– अधिशासी अभियन्ता, ह०रू०वि०प्रा०, हरिद्वार ।
4– समस्त सहायक अभियन्ता/सहा०नगर नियोजक ह०रू०वि०प्रा०, हरिद्वार।
5– समस्त अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/समस्त सहायक।
7– आई०टी०अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019 (परिचालन के माध्यम से सम्पन्न) के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव